भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4279

उत्तर देने की तारीख 18 जुलाई, 2019
27 आषाढ़, 1941 (शक)

खेल अवसंरचना का विकास

4279. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः
श्री संजय सेठः
श्री जयंत सिन्हाः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान गुजरात और झारखंड में युवाओं की खेल और एथलेटिक क्षमता के दोहन हेतु खेल सुविधाओं और अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कार्यान्वित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) द्वारा विशेषकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण सुविधा, अनुपूरक पोषण प्रदान करने और गरीब बालकों/बालिकाओं को रोजगार देने के लिए हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स और तीरंदाजी के खिलाड़ियों हेतु उक्त अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान गुजरात और झारखंड में खेल अवसंरचना के विकास और एसएआई के कार्यकलापों हेतु सरकार द्वारा कितनी निधियां आवंटित की गई हैं;

(घ) झारखंड के हजारीबाग और रामगढ़ जिलों में मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या मंत्रालय उक्त जिलों हेतु नई परियोजनाओं पर विचार कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात और झारखंड में खेलो इंडिया स्कीम के तहत और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संस्वीकृत/ कार्यान्वित खेल अवसंरचना परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है ।

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की खेल संवर्धन स्कीमों के साथ-साथ राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की स्कीम के अंतर्गत हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स और तीरंदाजी खेल विधाओं के खिलाड़ियों सहित प्रशिक्षण के लिए चिह्नित खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल अवसंरचना तथा वैज्ञानिक सहायता के साथ अत्याधुनिक उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं । इन खिलाड़ियों को उनकी संबंधित स्कीम से प्राप्त होने वाले लाभों के आधार पर विशेषज्ञ कोचों, भोजन और आवास, खेल किट, पोषण संपूरक, प्रतियोगिता एक्सपोजर, शैक्षणिक व्यय, चिकित्सा/ बीमा तथा वृत्तिका आदि के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है । वर्तमान में, साई में रोजगार पूर्व-निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार प्रदान किया जाता है न कि आर्थिक स्थिति के आधार पर ।

(ग) और (घ) : साई स्कीमों के अंतर्गत निधियों का राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है । विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात और झारखंड में खेल अवसंरचना के सृजन/ उन्नयन के लिए साई द्वारा संस्वीकृत निधियों का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है । गुजरात और झारखंड में साई के खेल प्रशिक्षण केन्द्रों का ब्यौरा अनुबंध-2 में दिया गया है ।

(ङ) संबंधित स्कीमों के मांग आधारित होने के कारण नई परियोजनाओं पर संबंधित स्कीमों के मानदंडों के अनुसार विचार किया जाता है और उनकी तकनीकी व्यवहार्यता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर उनकी मंजूरी पर विचार किया जाता है ।

*****

“खेल अवसंरचना के विकास” के संबंध में श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर, श्री संजय सेठ और श्री जयंत सिन्हा, माननीय संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा दिनांक 18.07.2019 के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4279 के भाग (क), (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध ।

अनुबंध– 1.

क्र. सं.	**विगत तीन वर्षों के दौरान खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं का नाम**	**संस्वीकृत धनराशि (करोड़ रु.)**
	गुजरात	
	2016-17	
1.	जिला नारौदा, अहमदाबाद में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बिछाना	7.00
	2017-18	
2.	देवगढ़बारीया, जिला दाहोद में सिंथेटिक हॉकी टर्फ बिछाना	4.67
3.	वालावाल, जिला वडोदरा में स्वर्णित गुजरात खेल विश्वविद्यालय के परिसर में बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण	8.00
4.	वालावाल, जिला वडोदरा में स्वर्णित गुजरात खेल विश्वविद्यालय के परिसर में तरणताल का निर्माण	5.00
	झारखंड	
	2016-17	
1.	साई प्रशिक्षण केन्द्र, हजारीबाग में हॉकी और फुटबॉल मैदान का उन्नयन	2.07

क्र. सं.	**विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात और झारखंड में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) द्वारा पूरे किए गए प्रमुख अवसंरचना कार्य**	**संस्वीकृत धनराशि (करोड़ रु.)**
	गुजरात	
	2018-19	
1.	दिव्यांगजनों के अनुकूल साई क्षेत्रीय केन्द्र, गांधी नगर में साई छात्रावासों का उन्नयन	0.60
	झारखंड	
	2017-18	
1.	साई प्रशिक्षण केन्द्र, हजारीबाग में में हॉकी और फुटबॉल मैदान का उन्नयन	3.22

"खेल अवसंरचना के विकास" के संबंध में श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर, श्री संजय सेठ और श्री जयंत सिन्हा, माननीय संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा दिनांक 18.07.2019 के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4279 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध ।

अनुबंध – 2

विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात और झारखंड में विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत साई केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे साई खिलाड़ियों का ब्यौरा

क्र. सं.	स्कीम/राज्य		आवासीय			गैर-आवासीय		
		एनओसी	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
				2016-2017				
	एसटीसी							
1	गुजरात	1	194	81	275	6	5	11
	एसएजी							
1	झारखंड	1	49	85	134	0	0	0
	विस्तार केन्द्र							
1	गुजरात	1	0	0	0	7	7	14
2	झारखंड	2	0	0	0	0	0	0
	सीओई							
1	गुजरात	1	21	10	31	0	0	0
	कुल:	**06**	**264**	**176**	**440**	**13**	**12**	**25**
				2017-2018				
	एनएसटीसी							
	आईजीएमए							
1	झारखंड	1	0	0	0	10	11	21
	एबीएससी							

क्र. सं.	स्कीम/राज्य		आवासीय			गैर-आवासीय		
		एनओसी	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
1	झारखंड	1	22	0	22	0	0	0
	एसटीसी							
1	गुजरात	1	191	87	278	6	4	10
2	झारखंड	1	44	0	44	0	0	0
	एसएजी							
1	झारखंड	1	63	83	146	6	9	15
	विस्तार केन्द्र							
1	गुजरात	1	0	0	0	0	0	0
7	झारखंड	1	0	0	0	12	9	21
	सीओई							
1	गुजरात	1	36	0	36	0	0	0
	सकल योग:	**08**	**356**	**170**	**526**	**34**	**33**	**67**
2018-2019								
	एनएसटीसी							
	आईजीएमए							
1	झारखंड	1	0	0	0	10	11	**21**
	एबीएससी							
1	झारखंड	1	37	0	37	0	0	0
	एसटीसी							

क्र. सं.	स्कीम/राज्य		आवासीय			गैर-आवासीय		
		एनओसी	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
1	गुजरात	1	195	70	265	1	3	4
2	झारखंड	1	63	0	63	0	0	0
	एसएजी							
1	झारखंड	1	63	81	144	9	8	17
	विस्तार केन्द्र							
1	गुजरात	1	0	0	0	0	0	0
2	झारखंड	1	0	0	0	12	7	19
	सीओई							
1	गुजरात	1	34	0	34	0	0	0
	सकल योग:	**08**	**392**	**151**	**543**	**32**	**29**	**61**

एनएसटीसी : राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता

आईजीएमए: देशज खेल और मार्शल आर्ट्स

एबीएससी: सेना बाल खेल कंपनी

एसटीसी : साई प्रशिक्षण केन्द्र

एसएजी : विशेष क्षेत्र खेल

सीओई : उत्कृष्टता केन्द्र

*****